सीसीटीएनएस/ द्वारा ई–मेल

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें,

आठवॉ तल, टावर–4, सिग्नेचर बिल्डिंग, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027

पत्रॉकः टीएस–सीसीटीएनएस–87/2014(IV) दिनांकः मई 28, 2019

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
कोऑर्डिनेटर समस्त जोन, समस्त परिक्षेत्र, समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः– **Encouraging Police Officials for filling the Missing Person Registration form(IIF8) in CAS especially when Child is missing or kidnapped-reg.**

कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त के संबंध में संयुक्त निदेशक, सीसीटीएनएस, गृह मंत्रालय भारत सरकार, एनसीआरबी, एनएच–8, महिपालपुर नई दिल्ली–110037 ने पत्र संख्या:CCTNS(103)/CAS-ISSUES/116/NCRB/2018-PART-1 Date 17-05-2019 के द्वारा सूचित किया है, कि सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत प्रयुक्त हो रहे कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर के फार्म आईआईएफ–8 में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में पंजीकरण के समय लम्बाई, शारीरिक बनावट, रंग, शारीरिक विवरण, पहचान चिन्ह, कपड़े, फोटोग्राफ के साथ–साथ आयु, लिंग, माता पिता का विवरण तथा पता दर्ज किया जाना चाहिए।

2– ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त स्तर पर समीक्षा के दौरान पाया गया है कि अधिकतर मामलों में जनपद स्तर पर थानों के द्वारा उक्त डाटा को फीड़ नहीं किया जा रहा है, खासकर जब पीड़ित बच्चा हो या 18 वर्ष से कम आयु का हो तो जब भी थाने में किसी व्यक्ति के गुम होने या उसके अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है तो उक्त फार्म भर दिया जाना चाहिए। फार्म न भरे जाने के कारण गुम व्यक्तियों के मामलों और लापता व्यक्ति की घटनाओं के खिलाफ दर्ज की गई एफ0आई0आर0 में बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है।

3– उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से संबंधित थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को निर्देश निर्गत करें कि जब भी थाने में किसी व्यक्ति के गुम होने या उसके अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है तो फार्म आईआईएफ–8 भर दिया जाना चाहिए, ताकि डाटा में भिन्नता न रहे। प्रकरण को गम्भीरता से लेने हेतु निर्देशित करने के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

28/5

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
4. श्री दिग्विजय सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, सीसीटीएनएस शाखा, तकनीकी सेवायें को इस निर्देश के साथ कि ई–मेल के साथ–साथ कम्प्यूटर आपरेटरर्स को क्यू–मेल के माध्यम से भी प्रेषित करें तथा साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।